दिनांकः 16-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड 05 शातिर पशु चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये पशु, अन्य सामान, एक पिकअप गाडी, फर्जी रजिस्ट्रेशन के रैपर व अवैध अस्लाह बरामद ।

बरामदगीः-

- **03 तमंचे, 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 02 छूरे**
- **02 भैंसे व भैंस के 02 बच्चे**
- **04 फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर के रैपर**
- **01 पिकअप गाडी**
- **04 बैटरें**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराधियों के विरुद्ध सघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे जब थाना बेहट पुलिस द्वारा बाबैल पावर हाउस वाले नहर के पुल के पास सदिंग्धो की चैकिंग की जा रही था तभी पुलिस टीम को सामने से पिकअप गाडी आती दिखाई दी जिसको संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम द्वारा रूकने का ईशारा किया गया तो पिकअप मे सवार अभुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर अपनी जान की परवाह न करते हुए मौके से 05 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान- **(1) सलमान पुत्र मकबूल निवासी-गली नं0-3 हुसैन कलौनी थाना –मण्डी जनपद-सहारनपुर (2) जीशान उर्फ फाना पुत्र शहजाद निवासी-हरौडा थाना-गागलहेडी जनपद-सहारनपुर (3) मोफिक पुत्र शकील निवासी-दतौली मुगल थाना-फतेहपुर जिला सहारनपुर (4) शोएब पुत्र इरफान निवासी-घानाखण्डी थाना-कोतवाली देहात जनपद-सहारनपुर (5) शमशाद पुत्र शहजाद निवासी-हरौडा थाना-गागलहेडी जनपद-सहारनपुर** के रूप मे हुई है। 02 अन्य अभियुक्त गण मौके से भागने मे सफल रहे ।

अभियुक्तगण के कब्जे से मु0अ0सं0 412/2023 धारा 379 भादवि मे चोरी गयी 01 भैंस व एक भैंस का बच्चा व मु0अ0सं0 420/23 धारा 379 भादवि मे चोरी गयी एक भैंस व एक भैंस का बच्चा बरामद हुआ व मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380 भादवि मे चोरी गये ई-रिक्सा के 04 बैटरे बरामद हुए व एक पिकअप UP11AT3193 व तीन तमन्चे देशी 315 बोर मय 03 कारतूस व एक खोखा कारतूस जिन्दा 315 बोर व दो चाकू नाजायज व चोरी करने के उपकरण (एक रस्सी , एक टार्च , एक प्लास) व फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर के रैपर बरामद हुए हैं।

पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने व फर्जी रजिस्ट्रेशन रैपर की बरामदगी के आधार पर ताना बेहट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगीः-

01 तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त जिशान से बरामद)

01 तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त सलमान से बरामद)

01 तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त मोफीक से बरामद)

01 पारदर्शी प्लास्टिक डब्बे मे 04 फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर के रैपर

02 चाकू नाजायज (अभियुक्त शोएब व अभियुक्त शमशाद से बरामद)

(एक रस्सी करीब 25 मीटर नीले लाल रंग की व एक टार्च पीले रंग की व एक प्लास लाल व काले रंग का) चोरी करने के उपकरण

01 पिकअप नं0- UP11AT3193

01 भैंस व 01 बच्चा सम्बन्धित मु0अ0सं0 412/23 धारा 379/411/120बी भादवि

01 भैंस व 01 भैंस का बच्चा सम्बन्धित मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120बी भादवि

04 बैटरे सम्बन्धित मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380/411 भादवि

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम पाँचो व हमारे फरार साथी एक साथ मिलकर दिन मे रैक्की करके व ज्यादातर रात्रि के समय भैस व बैटरी चोरी करते है । तथा अलीशान व फैजान हमारी गोबर आदि से गन्दी हुई गाडी को साफ करने का काम करते है। आज भी हम रैक्की के लिये ही जा रहे थे। बरामद पीकअप नं0 UP11AT3193 के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि यह पीकअप अभी कुछ दिन पहले ही किराये पर हसीन निवासी-कैलाशपुर से ली है । बरामद रैपर के सम्बन्ध मे सभी ने बताया कि हम जब रैकी/ चोरी करते है तो ये रैफर पिकअप पर लगा देते हैं जिससे हमारी पिकअप का असली नम्बर किसी को पता न चले । हम पाचो व भागे हुए व्यक्तियो ने मिलकर स्क्रोपियो गाडी जिसका रजि0 HR26AP7711 से दिनांक 14-09-2023 को रात्रि के समय चिम्माबास से एक भैस चोरी की थी तथा उससे एक दिन पहले कबीरपुर से भैस व उसका बच्चा चोरी किया था तथा दिनांक 31.08.2023 को उसी स्क्रैपियो से कलसिया पेट्रोल पम्प के समाने से हम सभी ने 8 बैटरें चोरी किये थे । स्कार्पियो गाडी के बारे मे पूछा गया तो बताया कि हमारी गाडी स्कोपियो कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले बन्द कर दी है, जो पुलिस को अलीशान व फैजान के मालवीय नगर के डग पास से लावारिस हालत मे मिली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

(1) सलमान पुत्र मकबूल निवासी-गली नं0-3 हुसैन कलौनी थाना –मण्डी जनपद-सहारनपुर

(2) जीशान उर्फ फाना पुत्र शहजाद निवासी-हरौडा थाना-गागलहेडी जनपद-सहारनपुर

(3) मोफिक पुत्र शकील निवासी-दतौली मुगल थाना-फतेहपुर जिला सहारनपुर

(4) शोएब पुत्र इरफान निवासी-घानाखण्डी थाना-कोतवाली देहात जनपद-सहारनपुर

(5) शमशाद पुत्र शहजाद निवासी-हरौडा थाना-गागलहेडी जनपद-सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 200/16 धारा 5/8 सीएस एक्ट को0 देहात
2. मु0अ0सं0 420/19 धारा 457/380/411 भादवि को0देहात
3. मु0अ0सं0 111/19 धारा 379/411 भादवि फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 141/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बिहारीगढ
5. मु0अ0सं0 152/22 धारा 307 भादवि बिहारीगढ
6. मु0अ0सं0 153/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बिहारीगढ
7. मु0अ0सं0 156/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 बिहारीगढ
8. मु0अ0सं0 157/22 धारा 414 भादवि बिहारीगढ
9. मु0अ0सं0 253/19 धारा 414 भादवि सदर बाजार

10. मु0अ0सं0 255/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट सदर बाजार
11 मु0अ0सं0 118/23 धारा 307/365/120बी भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट सरसावा
12.मु00सं0 - .412/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
13. मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
14. मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380/411/120बी भादवि बेहट

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त जिशान उपरोक्तः-</u>

1. मुअ0सं0 330/21 धारा 307 भादवि गागलहेडी
2. मु00सं0 331/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट गागलहेडी
3. मु0अ0सं0 333/21 धारा 414 भादवि गागलहेडी
4. मु0अ0सं0 430/19 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 गागलहेडी
5. मु0अ0सं0 115/22 धारा 307/34 भादवि नानौता
6. मु0अ0सं0 117/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 ननौता
7. मु0अ0सं0 118/22 धारा 420/465 भादवि ननौता
8. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 नानौता
09.मु00सं0 - .412/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
10. मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
11. मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380/411/120बी भादवि बेहट

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोफीक उपरोक्तः-</u>

01.मु00सं0 - .412/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
02. मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
03. मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380/411/120बी भादवि बेहट

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त शोएब उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 141/22 धारा 3/5 सीएस एक्ट बिहारीगढ
2. मु0अ0सं0 152/22 धारा 307 भादवि बिहारीगढ
3. मु0अ0सं0 155/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बिहारीगढ
4. मु0अ0सं0 156/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता बिहारीगढ
5. मु0अ0सं0 157/22 धारा 414 भादवि बिहारीगढ
6. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 बिहारीगढ
7. मु0अ0सं0 118/23 धारा 307/365/120बी भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट सरसावा
8 मु00सं0 - .412/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
9. मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
10. मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380/411/120बी भादवि बेहट

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमशाद उपरोक्तः-</u>

1. मु0अ0सं0 40/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट गागलहेडी
2. मु0अ0सं0 42/21 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट गागलहेडी
3. मु0अ0सं0 43/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट गागलहेडी
4. मु00सं0 79/20 धरा 2/3 गैगस्टर अधि0 गागलहेडी
5. मु0अ0सं0 202/19 धारा 307 भादवि गागलहेडी
6. मु0अ0सं0 203/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट गागलहेडी

7. मु0अ0सं0 243/22 धारा 307 भादवि गागलहेडी
8. मु0अ0सं0 244/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट गागलहेडी
9. मु0अ0सं0 245/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट गागलहेडी
10. मु0अ0सं0 245/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पश क्रूरता अधि0 गागलहेडी
11. मु0अ0सं0 430/19 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता गागलहेडी
12 मु0अ0सं0 118/23 धारा 307/365/120बी भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट सरसावा
12.मु00सं0 - .412/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
14. मु0अ0सं0 420/23 धारा 379/411/120बी भादवि बेहट
15. मु0अ0सं0 390/23 धारा 457/380/411/120बी भादवि बेहट

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2.व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री सतीश रौसा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
6.है0का0 521 सुनील राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर
7. है0का0 586 राजीव पंवार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. का0 2300 पीतम सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
10. का0 1594 मोहित धामा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
11. का0 2064 रूचिन कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारपुर

दिनांक- 16.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के तहत आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 25 अभियोगो से सम्बन्धित कुल 763 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 01 लाख 52 हजार रूपये) का विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** व माल मुकदमाती निस्तारण अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री युवराज सिंह उपजिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर, श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर, श्री अक्षय चौधरी जिला आबकारी निरीक्षक जनपद सहारनपुर, श्री विकास कुशवाह सहायक अभियोजन अधिकारी जनपद सहारनपुर की उपस्थिति में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.11.2023 को वर्ष 2020/2022/2023 के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 25 मुकदमों से बरामद कुल 763 लीटर अवैध (शराब कीमत करीब 01 लाख 52 हजार रूपये) को गठित टीम के समक्ष मालों को थाना परिसर में जे0सी0बी0 से गड्ढा खुदवाकर मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 03.11.2023 के अनुपालन में वीडियोग्राफी कराते हुए मालो को जमीन में दबवाकर नष्ट किया गया।

माल का विवरण व अनुमानित मूल्यः-

- कुल 763 लीटर देशी हरियाणा व यूपी मार्का (कीमत करीब 01 लाख 52 हजार रुपये)

नष्टीकरण कराने वाली टीम का नाम व पदनाम-

1. श्री युवराज सिंह उपजिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर ।
2. श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर।
3. श्री अक्षय चौधरी जिला आबकारी निरीक्षक जनपद सहारनपुर।
4. श्री विकास कुशवाह सहायक अभियोजन अधिकारी जनपद सहारनपुर।
5. श्री विनय शर्मा थाना अध्यक्ष थाना चिलकाना सहारनपुर।
6. श्री रविन्द्र सिंह वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना चिलकाना सहारनपुर।
7. जोनी कुमार हेड मोहर्रिर थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक- 16.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.11.2023 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वारण्टी **अभियुक्त मोहित पुत्र शीशराम नि0 तेलीपुरा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 62/18 व मु0अ0सं0 235/17 धारा 147/148/149/307/332/353/336/504/427 भादवि व 2/3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम व 7 सीआरपीसी थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर में कारण गिरफ्तारी बताते हुए ग्राम तेलीपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहित उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मोहित पुत्र शीशराम नि0 तेलीपुरा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. का0 1441 अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांक 16.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा 02 शराब तस्कर (01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता) गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित शराब व करीब 01 किग्रा यूरिया बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध शराब /अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1. रकम सिंह उर्फ रकमा पुत्र छोटा जुलाहा नि. ग्राम डूभर किशनपुर, थाना तीतरों, जनपद सहारनपुर उम्र करीब 56 वर्ष, 2. शकुंतला पत्नी रकम सिंह उर्फ रकमा नि. ग्राम डूभर किशनपुर, थाना तीतरों, जनपद सहारनपुर उम्र करीब 50 वर्ष को 10 लीटर अपमिश्रित शराब, करीब 1 किग्रा यूरिया सहित ग्राम डूभर किशनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना तीतरो पर मु.अ.सं. 159/2023 धारा 60(1) EX ACT व धारा 272,273 IPC पंजीकृत किया गया। अभि0गण उपरोक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता का नाम व पता-

- रकम सिंह उर्फ रकमा पुत्र छोटा जुलाहा नि. ग्राम डूभर किशनपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
- शकुंतला पत्नी रकम सिंह उर्फ रकमा नि. ग्राम डूभर किशनपुर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

अभियुक्त रकम सिंह का आपराधिक इतिहास

- मु.अ.सं. 91/2016 धारा 60 आबकारी अधि. थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
- मु.अ.सं. 80/2018 धारा 60(2) आबकारी अधि. थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
- मु.अ.सं. 86/2018 धारा 60(2) आबकारी अधि. थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
- मु.अ.सं. 76/2019 धारा 60(2) आबकारी अधि. थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
- मु.अ.सं. 154/2023 धारा 60(2) आबकारी अधि. व 272 / 273 भा.द.वि. थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
- मु.अ.सं. 159/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि. व 272 / 273 भा.द.वि. थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 10 लीटर अपमिश्रित शराब, करीब 1 किलोग्राम यूरिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

- उ.नि. श्री अशोक कुमार यादव थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- हैड का0 1058 राहुल राणा थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- का0 1655 रवि कुमार अंतल थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- म.का. 865 दिशा रानी थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- म.का. 860 अलीशा शाकरोत थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर

दिनांक: 16-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा सुपर विहार कालोनी में आकर झगडा करने तथा बीच बचाव करने आये मौहल्ला वासियों के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 01 वान्छित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.10.2023 की रात्रि में सुपर विहार कालोनी में झगडे में बीच बचाव करने पहुँचे मौहल्ला वासियों के साथ लकडी के फट्टो से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में थाना मंडी पर दिनांक 29.10.2023 को वादी श्री महेन्द्र पाल पुत्र बूलचन्द निवासी सुपर विहार कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा थाना मंडी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में तहरीर देकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 331/23 धारा 308/325/323/504/506 भा0द0वि0 बनाम आशू चौहान, अंकुश व दो अन्य साथी नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिये गये। आदेश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम गठित की गयी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पुलिसटीम द्वारा दिनांक 27.10.2023 को अभि0 आशू चौहान को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण की तलाश हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। दिनांक 15.11.2023 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा घटना में नामजद अभियुक्त **अंकुश पुत्र रोहित निवासी मूंगागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को बाल्मिकी मन्दिर मूंगागढ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अंकुश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरे दोस्त आशू चौहान का सुपर विहार कालोनी मे रहने वाले एक लडके से झगडा हो गया था। इस बारे मे उसने मुझे बताया था। उसके बाद हम लोग सुपर विहार में उस लडके को समझाने पहुँचे तो वहाँ पर झगडा हो गया तथा वहाँ पर रहने वाले लोग भी झगडे में बीच बचाव में आये ,जिससे उनको भी चोटे आयी। उसके बाद हम लोग मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- अंकुश पुत्र रोहित निवासी मूंगागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
- है0कां0 459 पवन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट-परिवार परामर्श केन्द्र

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे आज **दिनांक 16.11.2023** को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र जनपद सहारनपुर में विवादित परिवारो की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से, उपनिरीक्षक मधु, म0का0 170 प्रतीक्षा, म0का0 857 पायल, म0का0 1430 रीटा, म0का0 682 अंजली की उपस्थिति में कान्उसलर श्रीमति सुरभि सिंह,श्रीमति अनुपमा महाजन, सरोज गोयल, श्री केएल डाबरा, श्री प्रेमनाथ छोकर, श्री शाहिद अहमद के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 05 प्रकरणो में दोनो पक्षो को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरो द्वारा 02 पत्रावली बन्द की गई। 03 पत्रावलियो मे सोचने समझने के समय दिया गया पत्रावली विवेचनाधीन है।

दिनांक 16.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन अपराध की रोकथाम हेतु अभियुक्तो के विरूद्ध की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.23 को 02 अभियुक्त 1. राज पुत्र रणजीत निवासी टैगोर गार्डन पैपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर, 2. मुकेश पुत्र ज्योतिराम निवासी केशवनगर बाल्मीकि बस्ती नु0कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 151/107/116 CRPC में हिरासत पुलिस लिया गया । उपरोक्त दोनो अभियुक्तो को लोन की किस्त न अदा करने को लेकर फाईनेन्स वाले के साथ आमदा फसाद करने के सम्बन्ध में मौहल्ला बाल्मिकी बस्ती नुमाईश कैम्प से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. राज पुत्र रणजीत निवासी टैगोर गार्डन पैपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मुकेश पुत्र ज्योतिराम निवासी केशवनगर बाल्मीकि बस्ती नु0कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 346 हरेन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. का0 1179 संजय कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. का0 1845 रोहित कुमा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर